कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर

क्रमांक/एफ ( ) विधि/उवसंवजी/2024–25/ 2113 दिनांक 12.04.2024

निमित्त,
श्रीमान रजिस्ट्रार
नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल,
सेन्ट्रल जोनल बैंच,
भोपाल।

विषयः– ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 05/2024 अरूण शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 07/2024 अशोक शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में अन्य पारित निर्णय दिनांक 07.03.2024 की पालना में बंध बारैठा में अवैध खनन के संबंध में।

संदर्भः– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल के आदेश दिनांक 07.03.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि बंध–बारैठा वन्यजीव अभयारण्य में अवैध खनन के संबंध में उक्त विषयांकित प्रकरणों में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.03.2024 की पालना के संबंध में की गई कार्यवाही/प्रगति रिपोर्ट निम्न प्रकार है :–

1. माह जनवरी में पुलिस एवं आर.ए.सी. जाप्ता की सहायता से अवैध खनन की रोकथाम हेतु कई स्थानों पर अस्थाई टेन्ट लगाकार मॉनिटरिंग की गई थी तथा वर्तमान में भी वन विभाग के स्टाफ द्वारा अस्थाई टेन्ट लगाकर उक्त गतिविधियों पर रोकथाम की जा रही है।
2. अवैध खनन सम्बन्धी गतिविधियों की रोकथाम हेतु समय–समय पर प्रभावित क्षेत्र की ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग कराई जा रही है। रात्रि एवं दिन के लिये अलग–अलग टीमों का गठन कर खनन संभावित प्रवेश सीमाओं पर 24 घन्टे निगरानी रखी जा रही है।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी गश्तीदल को भी क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव बंध बारैठा के साथ सहयोग एवं समन्वय हेतु प्रभावी कार्यवाही हेतु, निर्देशित किया गया है।
4. अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु उक्त वन क्षेत्र में इस वर्ष 100 हैक्टेयर प्लान्टेशन कराकर वन क्षेत्र को उक्त गतिविधियों से सुरक्षित किया गया है।
5. माह जनवरी 2024 के पश्चात् अवैध खनन एवं परिवहन अधिकाश रूप से बन्द है। फिर भी कहीं कहीं ग्रामीणों द्वारा चोरी छिपे अवैध खनन किया जाता है। बन्ध बारैठा अभ्यारण्य (क्षेत्रफल 174.68 वर्ग कि.मी.) हेतु पर्याप्त स्टाफ की कमी होने के कारण अवैध खनन पूर्ण रूप से रोकने में काफी कठिनाई हो रही है।
6. दिनांक 07.03.2024 से आज दिनांक 12.04.2024 तक अवैध खनन एवं अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरणों की सूचना शून्य है।

Scanned with CamScanner

7. माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल भोपाल के आदेश दिनांक 07.03.2024 की पालना में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राज0, जयपुर के निर्देशानुसार श्री राजेश कुमार गुप्ता भा.व.से. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान, जयपुर, श्री टी. मोहन राज, वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर, श्री मानस सिंह, उप वन संरक्षक (वन्यजीव), भरतपुर एवं बन्ध–बारैठा स्टाफ द्वारा अवैध खनन प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया (निरीक्षण नोट संलग्न है)। निरीक्षण करने पर वस्तुस्थिति में पाया गया कि चोरी छिपे अभी भी ग्रामीण अवैध खनन कर रहे है। अवैध खनन क्षेत्र में प्रवेश एवं निकासी के एक से अधिक बिन्दू होने के. कारण पूर्ण रूप से खनन पर नियंत्रण पाने के लिए स्टॉफ की कमी को देखते हुए आर.ए.सी की तैनाती अत्यंत आवश्यक है।
8. अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु इस कार्यालय द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1485 दिनांक 12.03.2024 द्वारा आर.ए.सी./पुलिस जाप्ता लगाये रखने हेतु अनुरोध किया गया है।
9. अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु इस कार्यालय द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 1486 दिनांक 12.03.2024 से पुलिस तथा खनन विभाग को संयुक्त कार्यवाही हेतु पाबन्द करने हेतु भी निवेदन किया गया है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
भरतपुर

क्रमांक/एफ ( ) विधि/उवसंवजी/2024–25/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर।
2. जिला कलक्टर, भरतपुर
3. पुलिस अधीक्षक, भरतपुर
4. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, भरतपुर
5. खनि. अभियन्ता, भरतपुर
6. जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर
7. उप वन संरक्षक, भरतपुर

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
भरतपुर

Scanned with CamScanner

निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा श्री राजेश कुमार गुप्ता, भा.व.से., अति॰ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान, जयपुर

दिनांक 11.03.2024 को अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर के निर्देश अनुसार दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार भरतपुर के बंध बारेठा वन्यजीव अभयारण्य में अवैध खनन के संबंध में बयाना के वन खण्ड दरबरहाना में अवैध खनन की वस्तुस्थित हेतु श्री टी0 मोहन राज, वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर, श्री मानस सिंह, उप वन संरक्षक (वन्यजीव), भरतपुर, श्री जितेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं अन्य स्टाफ के साथ निरीक्षण किया गया।

दिनांक 11.03.2024 :–

उल्लेखनीय है कि बंध बारैठा वन्यजीव अभयारण्य की प्रारंभिक अधिसूचना 5 अक्टूबर 1985 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी हुई है। दिनांक 23.03.2021 को एक संशोधित प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई, लेकिन अंतिम अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। सितम्बर, 2013 से अभयारण्य का प्रशासनिक नियंत्रण उप वन संरक्षक (वन्यजीव), भरतपुर के है। वर्तमान में अभयारण्य का क्षेत्रफल 174.68 वर्ग किलोमीटर है। गूगल अर्थ के इमेजरी अनुसार वर्ष 2010 से अवैध खनन देखा जा सकता है, परन्तु यहां पर खनन इसके कई वर्ष पूर्व से चल रहा हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के सहमति से बंध बारेठा वन्यजीव अभयारण्य के चार वनखण्डों (बंशीपहाड़पुर–ए, बंशीपहाड़पुर–बी, कोट एवं सुकासिला वन खण्ड) को डिनोटिफाई किया गया है।

1. एनजीटी के ऑरिजिनल एप्पलीकेशन संख्या 07/2024 में दरबरहाना अवैध खनन क्षेत्र में निरीक्षण कर एनजीटी द्वारा गठित संयुक्त दल के रिपोर्ट अनुसार लोकेशन नंबर 1 (लगभग 2 वर्ग किलोमीटर) एवं लोकेशन नंबर 2 (लगभग 6 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र में अवैध खनन किया गया है।
2. अभयारण्य में अवैध खनन की समस्या मुख्यतया नाका कोट में है। जो कि घडी बाजना क्षेत्र राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित है। अवैध खनन क्षेत्र दरबरहाना (लोकेशन–1) का निरीक्षण करने पर पाया कि यहां पर Sandstone के ब्लॉक्स काटकर निकाले गये है एवं मौके पर पटियां भी पड़ी हुई देखी गई। निरीक्षण के दौरान स्थानीय स्टाफ द्वारा सीज किए गए पत्थरों पर FD लिखा हुआ पाया गया तथा खनन पिट पर FD का चिह्न लगाकर सीज किया गया देखा गया। मौका निरीक्षण पर उपस्थित स्टाफ ने बताया कि रात के समय यहां अवैध खनन होता है।

Scanned with CamScanner

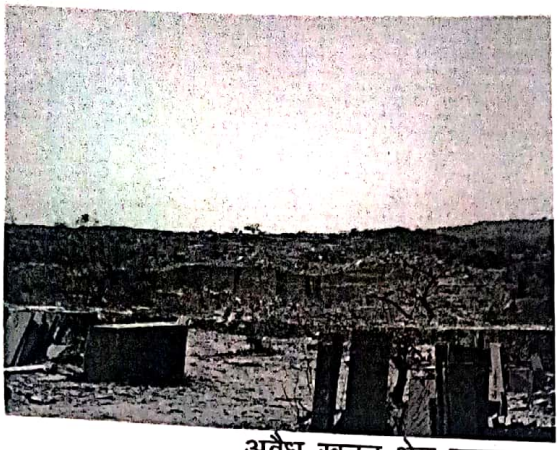

अवैध खनन क्षेत्र दरबरहाना में अवैध खनन के साक्ष्य

3. स्थानीय स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में अवैध खनन 2–3 माह से पूर्ण रूप से बंद है परन्तु ऐसा प्रतीत हुआ कि चोरी छिपे अभी भी ग्रामीण अवैध खनन कर रहे है। **अवैध खनन क्षेत्र में प्रवेश एवं निकासी के एक से अधिक बिन्दु होने के कारण पुर्ण रूप से खनन पर नियंत्रण पाने के लिए स्टॉफ की कमी को देखते आर0ए0सी की तैनाती अत्यंत आवश्यक है।** अभी हाल ही में राज्यभर में अवैध खनन के रोकथाम के अंतर्गत आर0ए0सी मय सशस्त्र बल को लगाया गया था। जिससे अवैध खनन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो गया था।

4. मौके पर उपस्थित वनकर्मियों द्वारा यह बताया गया कि जब ग्रामीणों को यह ज्ञात हो जाता है कि आर0ए0सी सीमित समय के लिए तैनात है तो अवैध खनन का कार्य बंद कर देते है। लेकिन आर0ए0सी के चले जाने के बाद फिर से अवैध खनन के कार्य में पुनः लिप्त हो जाते है। **अतः क्षेत्र में आर0ए0सी की तैनाती स्थाई रूप से होने पर अवैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लग सकेगा।**

5. मौके वनकर्मियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि बिना रवन्ना वाले ट्रैक्टर ट्रोलियों/ वाहन से खनन विभाग रॉयलटी वसूल करता है एवं इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अवैध खनन किया हुआ पत्थर वैध रूप से क्षेत्र के आसपास में स्थापित गैंगसों में उपयोग होता है। **इस संबंध में खनन एवं परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही करने पर अवैध खनन पर रोक लग सकती है।**

6. **बिना पंजीकृत वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा सख्त कार्यवाही करने पर भी अवैध खनन पर प्रतिबंध लग सकेगा।** वन खण्ड के समीप रोड के किनारे सुरक्षा हेतु पूर्व में पक्की दीवार बनाई गई है जो कहीं कहीं से क्षतिग्रस्त पाई गई तथा नई दीवार का भी निर्माण किया जा रहा है।

Scanned with CamScanner

दीवार निर्माण कार्य एवं क्षतिग्रस्त दीवार

उप वन संरक्षक ने अवगत कराया कि 31.03.2023 से जनवरी 2024 तक 25 वाहनों को अवैध खनन में लिप्त पाये जाने पर 12 लाख 32 हजार रूपये का आर्थिक दण्ड किया गया है।

7. यह अवैध खनन क्षेत्र पुलिस चौकी एवं वन नाका से 1 किलोमीटर की दूरी एवं सीमेंट कांक्रीट सड़क के बायी तरफ स्थित है। अवैध खनन के क्षेत्र से उत्तरप्रदेश राज्य की सीमा लगभग 200 मीटर एवं उत्तरप्रदेश में स्थित टाटपुर औद्योगिक क्षेत्र से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है।

दरबरहाना लोकेशन–2 से उत्तर प्रदेश की सीमा

मौके पर चर्चा के दौरान यह अवगत कराया गया कि बयाना क्षेत्र में पत्थर मुख्यतयाः 3 औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंचता हैः–

i. बयाना स्थित औद्योगिक क्षेत्र (RIICO)
ii. जयपुर आगरा हाईवे स्थित सिकन्दरा
iii. उत्तरप्रदेश में स्थित टाटपुर औद्योगिक क्षेत्र

उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले पत्थर की वैधता की जांच भी संबंधित विभाग द्वारा करने पर अवैध पत्थर के खनन एवं परिवहन पर अंकुश लग सकेगा। चूंकि अवैध खनन में लिप्त ग्रामीणों की आजीविका को ध्यान में रखते हुये जिला प्रशासन के स्तर पर केंद्र एवं

Scanned with CamScanner

राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। जिससे ग्रामीणों को अवैध खनन से दूर रखा जा सके।

8. उप वन संरक्षक को निर्देश दिये कि ग्रामीणों के साथ ईडीसी की बैठक आयोजित कर ग्रामीणों से Sandstone के अवैध खनन क्षेत्र में पत्थर की कटाई के कार्य से ग्रामीणों के स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करें एवं साथ ही ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी से सिलिकोसिस के मरीजों के संबंध में सूचना लेकर इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी सिलिकोसिस पॉलिसी, 2019 के तहत ग्रामीणों के उपचार इत्यादि प्रावधानों का अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही करे। जिससे कि ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति समन्वय स्थापित हो सके एवं ग्रामीणों को अवैध खनन को रोकने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही विभाग द्वारा संचालित विकास कार्यों में भी इन्हें रोजगार उपलब्ध कराकर अवैध खनन से होने वाली भविष्य में कानूनी कार्यवाही के बारे में जागरूक करते हुये अवैध खनन को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।

9. उप वन संरक्षक ने यह अवगत कराया कि अवैध खनन क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग से अवैध खनन में लिप्त वाहनों के फोटोग्राफिक साक्ष्य एकत्रित किये जा सकते है। जिसे संबंधित विभाग को उपलब्ध करावाकर नियमानुसार कठोर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजे जा सकते है।

(राजेश कुमार गुप्ता)
अति॰ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ ( )निस/निप्र/अप्रमुवसंवजी/2024/ 16-20/c   दिनांक : 19/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथंभौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर।
5. उप वन संरक्षक (वन्यजीव), भरतपुर को निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये निर्देशों की पालना में।

Office of the DCF (WL)
Keoladeo National Park
2024-25
Nadesh I
JE 09.04.24

अति॰ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्य जीव) भरतपुर

"Telephone no 05644-222777 Email ID dirkooladeo@gmail.com, dcfwl.bhp.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ ( ) विविध 1 /उपसंघजी/2023/1486 दिनांक 12-3-24

निगित.

जिला कलक्टर,
भरतपुर

विषय : बंध बारैठा अभ्यारण में अवैध खनन की रोकथाम हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बंध बारैठा अभ्यारण के नाका कोट में अवैध खनन से संबंधित गतिविधिया सामने आई है। इसको रोकने के लिए वर्तमान समय इस कार्यालयाधीन विभाग के पास 2 वनपाल, 1 सहायक वनपाल तथा 10 फारेस्ट गार्ड ही पदस्थापित है। अवैध खनन को रोकने हेतु प्रशासन, पुलिस, खान विभाग तथा यातायात विभाग का सहयोग अत्यंत आवश्यक है जिसके आभाव में अवैध खनन को रोक पाना मुश्किल है।

कई बार अवैध खनन / अवैध परिवहन कर रहे वाहनों पर कार्यवाही करने के दौरान वन विभाग के स्टाफ पर जानलेवा हमला , विभागीय गाड़ियों को तोडना , अवैध परिवहन कर रहे वाहनों को छोड़ कर भाग जाना अथवा उन वाहनों से ही वन विभाग के कर्मियों पर हमला करने जैसे कृत्य सामने आते हैं। अवैध खनन की रोकथाम सिर्फ वन क्षेत्रो को सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है , यह सरकार को हो रहे राजस्व हानि से भी सम्बंधित है जिसे अत्यन्य गंभीरता से लेना होगा।

इसकी रोकथाम हेतु प्रशासन - पुलिस की सहायता कानून व्यवस्था को बनाए रखने , खान विभाग का योगदान अवैध खननकर्ताओ के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा अवैध रूप से चल रहे रवन्ना एवं एक्सेस रॉयलिटी पर अंकुश लाने के लिए तथा यातायात विभाग का सहयोग उन वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अत्यंत आवश्यक है जो अवैध खनन में लिप्त है।

वर्त्तमान में अवैध खनन से सम्बन्धी शिकायत NGT (NATIONAL GREEN TRIBUNAL) में भी की गई है जिसको NGT ने बहुत गंभीरता से लिया है। पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आपसे निवेदन किया गया है कि सभी विभागों को निर्देशित करने का कष्ट करे जिससे बंध बारैठा अभ्यारण में चल रहे अवैध खनन पर नियंत्रण पाया जा सके। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अवैध खनन को रोकने हेतु सम्बंधित विभागों को निर्देशित करने का कष्ट करे जिससे इस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाया जा सके।

भवदीय,

(गोनस सिंह)
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
भरतपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर

क्रमांक एफ ( ) विविध II/उवसंवजी/2024–25/ दिनांक

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं
क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर बाघ परियोजना
सवाईमाधोपुर

विषयः– बंध बारेठा में अवैध खनन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बंध बारैठा वन्यजीव अभयारण्य में अवैध खनन की समस्या है, जिसके संबंध में एन.जी.टी. भोपाल में भी एक याचिका दायर की गई है। एन.जी.टी. भोपाल ने अपने आदेश दिनांक 7.3.2024 (ओ.ए. नं0 5/2024 तथा 7/2024) में अवैध खनन के संबंध में उचित कार्यवाही करने के आदेश दिये थे।

इस कार्यालय द्वारा बंध बारैठा वन्यजीव अभयारण्य में अवैध खनन के संबंध में कई बार स्टाफ की कमी, विभिन्न विभागों द्वारा समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करने, आर.ए.सी. उपलब्ध कराने इत्यादि के बारे में सूचित कर निवेदन किया गया है कि उचित संसाधनों के अभाव तथा पुलिस प्रशासन के सहयोग के बिना अवैध खनन को रोक पाना सम्भव नही हो पा रहा है।

बंध बारैठा अभ्यारण्य में अवैध खनन की रोकथाम हेतु स्टाफ को संवेदनशील स्थानों पर लिखित में 24 घन्टे के लिये पाबन्द किया गया है, परन्तु सीमित स्टाफ होने के कारण पूरे क्षेत्र की गश्त तथा संवेदनशील स्थानों पर 24 घन्टे लगातार पाबन्द कर पाना एक साथ सम्भव नही हो पा रहा है। इस समस्या दूर करने हेतु आर.ए.सी. के जाप्ता की मांग की गई थी, परन्तु आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अवैध खनन की समस्या को रोकने हेतु आर.ए.सी. जाप्ता स्थाई रूप से उपलब्ध कराने की कृपा करें।

भवदीय,

(मोनस सिंह)
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
भरतपुर

क्रमांक एफ ( ) समसंख्यांक 1990–95 दिनांक 5-4-2024

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 जिला कलक्टर, भरतपुर से निवेदन है कि प्रशासन, खनन विभाग, परिवहन विभाग इत्यादि को बंध बारैठा अभ्यारण्य में अवैध खनन को रोकने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

2 जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर से निवेदन है कि आर.ए.सी. का जाप्ता उपलब्ध कराने की कृपा करें।

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
भरतपुर

Scanned with CamScanner